

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश

"ऑडिट भवन", टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010

सं.म.ले.(लेखापरीक्षा-II)/RTI Trng/प्रशा./2024-25/ 73

दिनांक 16/07/2024

कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज द्वारा माह जुलाई 2024 में निम्नलिखित विषयों पर, क्रं सं-1 एवं क्रसं-2 On-site (ऑफ-लाइन) प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु नामित किया गया है;

In July 2024, the Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Prayagraj is conducting स.no.1 and 2. on- Site trainings on the following subject. The following officers/employees are nominated by the competent authority for participation in the training programmes mentioned below his/her name.

क्र. सं.	प्रशिक्षण का विषय	अवधि	स्लॉट की सं०	नामित अधिकारी/कर्मचारी (श्री) ...
1	"MCTP लेवल-2 "	22-07-2024 To 27-07-2024	02	1. श्री पवन कुमार वर्मा, स.ले.प.अ. 2. श्री सुरजीत सिंह, स.ले.प.अ.
2	"MS-Excel-Advanced"	22-07-2024 To 27-07-2024	02	1. श्री राहुल कुमार, स.ले.प.अ. 2. श्री विजय श्रीवास्तव, ले.प.

उक्त प्रशिक्षण में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि प्रशिक्षणार्थी किसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं कर पाने की स्थिति में हैं, तो सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन ॥ को उक्त संबंध में तत्काल सूचित करेंगे।

It is mandatory to participate in the training for the officers/ employees nominated in the above training. In case, the trainee is not in a position to participate in the training due to unavoidable reasons the same will be informed immediately to AAO/Admin II before the training starts.


वरि. उप महालेखाकार/प्रशा.

सं.म.ले.(लेखापरीक्षा-II)/RTI Trng/प्रशा./2024-25 1867

दिनांक- 16/07/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. व. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-IV
2. व. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-III & प्रशासन
3. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.- II
4. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ०प्र०, लखनऊ
5. व०ले०प०अ०/ रिपोर्ट/ ए.एम.जी. III/(प्रोग्राम)/ ए.एम.जी. III/(प्रोग्राम)/ ए.एम.जी. IV/(प्रोग्राम)/ पी.सी. को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षणार्थियों को सूचित करें कि वे उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित हो ।
6. स०ले०प०अ०/आई.टी.सेल, इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रति, कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी (ई-मेल द्वारा) को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षण के एक दिन पहले ट्रांजिट लेकर अपने कार्यस्थल से (HQ/Field) RTI प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त उसी शाम/ रात का ट्रांजिट लेकर वापस अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होंगे ।
8. नोटिस बोर्ड

  
व०लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.